माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो. / सम्पदा / 2016 / दिनांक : 16.03.2016

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उत्तर पुस्तिका बंडलों के अनुपयोगी टाट के टुकड़े की नीलामी सूचना

क्रमांक : मा.शि.बो. / सम्पदा–53 / 2016 दिनांक : 16.03.2016

उत्तर पुस्तिका बंडलों के अनुपयोगी टाट के टुकड़े की नीलामी जहां है, जैसी है, के आधार पर नीलामी बोर्ड कार्यालय में दिनांक 28.03.2016 को अपरान्ह 12.00 बजे की जावेगी। बयाना राशि रूपये 1,000/– नीलामी दिवस को प्रातः 11:00 से 12:00 बजे तक जमा की जायेगी। इच्छुक क्रेता निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित होकर बयाना राशि मौके पर जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी योग्य सामग्री बोर्ड परिसर में (1.) पार्किंग स्थल के सामने (2.) पार्किंग स्थल के उपर तथा सिविल लाईन्स स्थित राजीव गांधी विद्या भवन में रखी है जिसका निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। विस्तृत शर्तें/ जानकारी बोर्ड कार्यालय सम्पदा शाखा से कार्य दिवस/कार्यालय समय में की जा सकती है।

सचिव

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी दिनांक 28.03.2016 को की जावेगी। नीलामी के लिए 11:00 से 12:00 बजे तक सभी बिडर्स द्वारा बयाना राशि जमा की जावेगी, उक्त समय पश्चात् बयाना राशि जमा नहीं की जावेंगी।
2. नीलामी की बोली अपरान्ह् 12.00 बजे से शुरू की जावेगी।
3. नीलामी के माल का बिडर अवलोकन कर लें। माल बोर्ड कार्यालय परिसर में (1) पार्किंग स्थल के सामने (2) पार्किंग स्थल के उपर व बोर्ड कॉलोनी सिविल लाईन्स में (3) राजीव गांधी विद्याभवन पर रखा है वहां से माल जैसा है, जिस स्थिति में है बेचा व उठाया जाना है।
4. बयाना राशि रू. 1,000/– जमा कराने वाले बिडर ही नीलामी में भाग लेने योग्य होंगे।
5. नीलामी में केवल बयाना राशि जमा कर बोली लगाने के लिए अधिकृत बोलीदाता ही भाग ले सकेंगे।
6. न्यूनतम आरक्षित दर रू. 1,000/– के आगे ही बोली आरम्भ की जायेगी।
7. अंतिम बोली छोड़ने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. पर्याप्त दर के अभाव में नीलामी निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
9. समस्त सामग्री सफल बिडर द्वारा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से अग्रिम राशि जमा कराकर उठानी होगी अन्यथा 07 दिवस की समाप्ति के पश्चात् प्रतिदिन रूपये 200/– (यदि फर्म द्वारा कुछ माल उठा लिया गया और कुछ शेष रह गया तो भी) गोदाम किराया के रूप में वसूला जायेगा।
10. असफल बिडर्स की बयाना राशि नीलामी की समाप्ति उपरान्त लौटा दी जावेगी एवं सफल बिडर की बयाना राशि का समायोजन बोली की राशि प्रतिभूति राशि में किया जा सकता है। इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
11. सफल बिडर द्वारा सामग्री उठाने से पूर्व सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि कार्यालय में अग्रिम जमा करानी होगी।
12. विवाद की स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम तथा बोलीदाताओं को स्वीकार्य होगा।
13. समस्त माल कार्यालय/गोदाम/उक्त स्थानों जहां माल रखा है वहां से उठाना होगा। माल उठाने का कोई व्यय बोर्ड द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
14. नीलामी बोर्ड कार्यालय मुख्य भवन जयपुर रोड़ अजमेर के प्रथम तल पर कमरा नं. 38" मिनी सभागार में की जावेगी।
15. किसी भी प्रकार की जानकारी आवश्यक होने अथवा शंका समाधान हेतु सहायक निदेशक (सम्पदा) से सम्पर्क करें।
16. अन्य नियम व शर्तें राजस्थान सरकार के GF & AR नियम तथा पारदर्शिता नियमों के अनुसार होंगी।

उप सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक (गोपनीय) को सूचनार्थ।
2. सूचना पट्ट, मा.शि.बो. कार्यालय, अजमेर
3. सूचना पट्ट, संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर
4. सूचना पट्ट, जिला कलेक्टर कार्यालय, अजमेर
5. सूचना पट्ट, डी.आर.एम. कार्यालय, अजमेर
6. सूचना पट्ट, लोक सेवा आयोग कार्यालय, अजमेर
7. सूचना पट्ट, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर

सहायक निदेशक (सम्पदा)